required for the purpose; and

(c) what is the amount-provision for the purpose?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Though there is no separate plan to cover all post offices with telephone facility, Government proposes to provide telephone facility to all Gram Panchayats and an additional 1.5 lakh other villages during the Eighth Five Year Plan period (1992-97). The Post Office is one of the suggested locations for installation of such telephone facility.

(b) and (c) No separate allocation has been made for providing telephone facility to Post Offices under the above plan.

Allocations for Urban and Rural Communication System

104. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: SHRI GOPALSINH G. SOLANKI:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what would be the total plan allocation for rural communication system in different parts fo India during the Eighth Five Year Plan period;

(b) what would be the proportion of telephone connections in Urban and rural communications systems; and

(c) the steps Government propose to develop the rural communication system during the said period?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGA YYA NAIDU): (a) An outlay of Rs. 6800 crores is proposed for providing telecommunication services in the rural sector during the 8th Five Year Plan period as per draft 8th plan of tiie Department.

(b) b 56 bkn of Direct Exchange lines besides 3.38 lakh long distance public telephones, out of a total of 75 lakh direct exchange lines propose for the country during the 8th five year plan are proposed to be provided in the rural areas.

(c) The draft 8th plan objectives for rural areas include:—

— provision of telephone connection practically on demand from all rural exchanges.

— Automatisation of all rural exchanges.

— Provision of Phone facility in all Gram Panchayat by 1.4.95.

— STD facility to be made available to all exchanges by the end of the eighth plan.

Implementation of PM's directive to surrender 10 per cent telephone lines

105. SHRI N.E. BALARAM: SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether various Ministries/ Departments of the Central Government have surrendered 10 per cent of the telephone lines as per the directives issued by the Prime Minister in this regard;

(b) if so, what is the number of lines available to the Communications Departments as a result thereof;

(c) whether these lines have been allotted to the people registered for telephone connections; and

(d) if so, the details thereof;

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGA YYA NAIDU): (a) to (d) The information is being collected from different Ministries and shall be placed on the Table of the House soon.

प्रत्येक पंचायत के लिए एस॰टी॰डी॰ सुविधा का प्रावधान

106. डा॰ अबरार अहमद:
चौधरी हरि सिंह:

क्या संचार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ दिन पहले एक घोषणा की थी कि देश में प्रत्येक पंचायत को टेलीफोन की सुविधा दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी पंचायतों को टेलीफोन की सुविधा दी गई है तथा कितनी पंचायतों को

यह सुविधा दिया जाना शेष है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) इस संबंध में राजस्थान की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि एस०टी०डी० बूथों के खुलने से जनता को राहत मिली है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार टेलीफोन कॉल की दरों में कमी करके मध्यम वर्ग और निर्धनों को लाभ और राहत देने का विचार रखती है;

(छ) छोटे शहरों में यह सुविधा कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(ज) प्रत्येक राज्य में इस समय कार्य कर रहे एस०टी० डी० टेलीफोन बूथों की राज्यवार संख्या क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) जी हां।

(ख) 31.1.92 की स्थिति के अनुसार 59044 पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है और 1,69,625 पंचायत ग्रामों में अभी यह सुविधा प्रदान की जानी है।

(ग) यह कार्य 31 मार्च, 1995 तक संपन्न हो जाने की संभावना है, जो कि निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) 31.1.92 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के 7353 पंचायत ग्रामों में से 3106 पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ङ) जी हां।

(च) कॉलों की दरें, नीति के अनुसार निर्धारित की जाती हैं और इस समय इन दरों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) उपस्करों और माध्यम के उपलब्ध हो जाने पर छोटे कस्बों में एस०टी०डी० बूथ की सुविधा उत्तरोत्तर रूप से प्रदान की जाएगी।

(ज) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

टेलीफोन कनेक्शनों की आवश्यकता

107. **डा० अब्दार अहमद:**
चौधरी हरि सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सभी प्रादेशिक राजधानियों और जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर तथा उदयपुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा-सूचियों की नवीनतम स्थिति क्या है और प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जायेंगे;

(ख) सरकार ऐसी स्थिति में कब तक पहुंचेगी कि मांगते ही टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जायें,

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) सरकार टेलीफोन बिलों के संबंध में कर्मचारियों द्वारा की जा रही धांधली को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) प्रतीक्षा-सूची की स्थिति का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **[नीचे देखिये]** प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दिए गए प्रस्तावों के अनुसार, देश में छोटी टेलीफोन प्रणालियों (ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र) में, इस योजना अवधि के अंत तक (मार्च 1977 तक) मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन व्यावहारिक रूप से प्रदान किए जाने की आशा है। लंबी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा अवधि को आठवीं योजना अवधि के अंत तक दो वर्षों तक सीमित किए जाने की संभावना है। यह आशा की जाती है कि उसके बाद भी सन् 2000 तक लंबी प्रणालियों में प्रतीक्षा अवधि को और कम कर दिया जाएगा।

(घ) विभाग द्वारा टेलीफोन के सही बिल जारी करने में पर्याप्त सावधानी बरतते हुए बिल नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं। लिपिकीय गलतियों, कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाए जाने में होने वाली गलतियों, तकनीकी दोषों आदि का पता लगते ही तत्काल ठीक कर दिया जाता है और उपभोक्ता के पिछले बिलों के आधार पर उन्हें अनन्तिम बिल जारी किए जाते हैं। जारी किए गए कुल बिलों की संख्या को देखते हुए, जो कि लगभग 2.5 करोड़ प्रतिवर्ष है, गलत बिलों की संख्या काफी कम (जारी किए गए कुल बिलों की संख्या के 1% से कम) है।